अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक– 03.02.2026 को जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक– 03.02.2026 को कलेक्ट्रेट–सभागार सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रॉ0), अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ए0डी0आई0ओ0 सूचना, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (शहरी), अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहायक अभियन्ता, (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) डी0पी0एम0 टी0पी0आई0 (मेंधज), डिस्ट्रिक हेड, पी0एम0सी0 तथा सम्बन्धित योजनाओं के परियोजना प्रबन्धक उपस्थित रहें।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के 1406 राजस्व ग्रामों में से 1281 ग्रामो में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 12 परियोजनाएँ यथा बेलाही, नगवां, तेन्दुआही, हर्रा, कदरा, गुरमुरा(पार्ट–1 व 2), पनारी(पार्ट–1 व 2), अमवार(पार्ट–1 व 2), झीलो–बीजपुर एवं पटवध निर्माणाधीन है तथा परासी–बेलवादह एवं केवथा परियोजना संचालन एवं अनुरक्षण फेज में संचालित है। जनपद में कुल 1406 ग्रामो के सापेक्ष 1281 ग्राम जल जीवन मिशन अन्तर्गत आच्छादित है। 57 ग्राम जल निगम ग्रामीण द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं से आच्छादित है, 23 ग्राम नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित है, 12 ग्राम गैर आबाद है तथा 33 ग्राम गुरमुरा–पनारी एवं अमवार योजना के पार्ट–2 से आच्छादित किया जाना है। योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. **<u>बेलाही ग्राम समूह पेयजल योजना–</u>** योजना का निर्माण कार्य मे0 मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी अनुबन्ध लागत रू0 187.56 करोड़ के सापेक्ष 165.51 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है तथा योजना की भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 186 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 175 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 152 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 133 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत काटी गयी 1521.96 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 9386.19 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड 12151.33 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 12769.79 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष मात्र 9.36 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड (ग्रामीण अभियन्त्र अन्तर्गत किरहुलिया बैरियर से रामगढ़ रेन्ज आफिस मार्ग), रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान, रोड रेस्टोरेशन सहित अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर)

2. **नगवां–तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजना–** योजना का निर्माण मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है। जिसका अनुबन्ध की लागत रू0 173.15 करोड़ के सापेक्ष 156.46 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए योजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 90 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि नगवां ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 राजस्व ग्रामों कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 37 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 33 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तेन्दुआही ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 80 राजस्व ग्रामों कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 79 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 68 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत काटी गयी 1339.70 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 28865.88 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड 15435.45 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 13042.54 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग

Scanned with OKEN Scanner

के सापेक्ष मात्र 20.74 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड एवं 154.41 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 (ग्रामीण अभियन्त्र अन्तर्गत सुअरसोत से सिरसिया मार्ग) रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान, रोड रेस्टोरेशन सहित अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर)

3. **हर्रा–कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना–** योजना का निर्माण मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध लागत लागत रू0 162.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 145.80 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए भौतिक प्रगति हर्रा–100 प्रतिशत, कदरा–87 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि हर्रा पेयजल योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 राजस्व ग्रामों कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 33 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। हर्रा योजनान्तर्गत इंटेकवेल का निर्माण सोन नदी में वन विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पर कराया गया है। वर्षा ऋतु में नदी में जल के साथ बालू का प्रवाह होने से इंटेकवेल के आस पास बालू जमा हो जाती है, जिससे इंटेकवेल पर रॉ–वाटर की उपलब्धता सैड ड्रेजिंग करके की जाती है। सोन नदी के दूसरी तरफ खनन कार्य होने से नदी की धारा में परिवर्तन हो गया है तथा धारा इंटेकवेल से लगभग 400 मीटर दूर हो गयी है, जिससे योजना में विगत 04 माह से जलापूर्ति बाधित है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि योजना में नियमित जलापूर्ति किये जाने हेतु इंटेकवेल पर रॉ–वाटर की उपलब्धता सूनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत सिंचाई विभाग, वन विभाग, खनन विभाग एवं जल निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जॉच कराये जाने के निर्देश दिये गये।

परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि कदरा पेयजल योजना कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के क्षेत्रांतर्गत प्रभावित है तथा 03 माह पूर्व अनुमति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें 01 नग ओ0एच0टी0 का निर्माण शेष है, 05 किमी0 पाइप लाइन, 653 नग गृह संयोजन का कार्य प्रगति पर है, जिसे 01 सप्ताह के भीतर पूर्ण करते हुये जलापूर्ति प्रारम्भ कर ली जायेगी। योजनान्तर्गत काटी गयी 12200.83 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 11322.04 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड 10593.57 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 2247.10 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष समस्त रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण है। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान सहित अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर)

4. **गुरमुरा–पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना–**योजना का निर्माण मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध रू0 165.80 करोड़ के सापेक्ष रू0 127.77 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 14 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 03 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये जलापूर्ति की जा रही है तथा "हर घर जल" प्रमाणीकरण शेष है तथा योजनान्तर्गत अवशेष कार्य की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 11 ग्रामों में 7516 नग गृह संयोजन प्रदान नहीं किया जा सका है एवं 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। उक्त अवशेष कार्य न होने से सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर गृह संयोजन की प्रगति कम प्रदर्शित हो रही है। योजनान्तर्गत काटी गयी 2565.53 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 5487.21 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड एवं 500 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष मात्र 12.5 वर्ग मी0 इंटरलाकिंग (03 ग्रामों में लिकेज मरम्मत के अन्तर्गत) रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान तथा अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे अवशेष ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जाए।
(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई)

Scanned with OKEN Scanner

5. **अमावर ग्राम समूह पेयजल**–योजना का निर्माण मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध लागत रू0 157.80 करोड़ के सापेक्ष रू0 120.47 करोड की धनराशि व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 54 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 32 ग्राम में कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत काटी गयी 627 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 26566.8 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड 12476.8 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 11937 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष समस्त रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य योजना के पार्ट–2 के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 22 ग्रामों में 6780 नग गृह संयोजन प्रदान नहीं किया जा सका है। उक्त अवशेष कार्य न होने से सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर गृह संयोजन की प्रगति कम प्रदर्शित हो रही है। फर्म द्वारा योजना में कमिशनिंग/जलापूर्ति नहीं की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान कराते हुए अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई)

6. **परासी–बेलवादह ग्राम समूह पेयजल योजना** –योजना का निर्माण मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध लागत रू0 217.89 करोड़ के सापेक्ष रू0 157.27 करोड़ व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 100 है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजना संचालन एवं अनुरक्षण अन्तर्गत संचालित है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत कुल 29 राजस्व ग्रामों के में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 24 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत काटी गयी 6417.55 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 52849.85 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड 4630.39 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 6016.67 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष मात्र 34.9 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 (29 ग्रामों में लिकेज मरम्मत कार्य में) रेस्टोरेशन का कार्य शेष है।

उक्त परियोजना की जलापूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम/टोला पाती एवं असनहार के कुछ टोलो में सप्ताह में मात्र 02 बार जलापूर्ति हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई)

7. **झीलो–बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना**–योजना का निर्माण मेसर्स जी0वी0पी0आर0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध लागत रू0 596.93 करोड़ के सापेक्ष रू0 492.48 करोड़ व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 171 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 153 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 89 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 80 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत काटी गयी 5906.62 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 12005.2 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड एवं 1771.47 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष 108.27 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 102.2 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड एवं 53. 15 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग (ग्रामीण अभियन्त्र अन्तर्गत बैना से लिंक रोड़ एवं बघाडू से लिलासी खुर्द मार्ग पर) रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत पाईप लाईन का बिछान 01 मी0 की गहराई में कराना सुनिश्चित करें तथा योजनान्तर्गत लंबित विद्युत बीजकों का भुगतान तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण करते हुये समस्त ग्रामों में शीघ्र नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/ मेसर्स जी0वी0पी0आर0, हैदराबाद)

8. **पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना**–योजना का निर्माण मेसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। योजना की अनुबन्ध की लागत रू0 803.06 करोड़ के सापेक्ष रू0 662.37 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए योजना

Scanned with OKEN Scanner

की भौतिक प्रगति 93 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 643 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 488 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 31 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 25 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पूर्ण की गयी योजनाओं में 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत काटी गयी 24592.23 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 59497.23 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड, 30838.71 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 91103.52 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष 1590.58 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 9548.34 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड, 6108.32 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 19658.78 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग (लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड अन्तर्गत मीतापुर करगरा, बलूई से बन्धवा मार्ग एवं सुकृत के समीप वाराणसी शक्तिनगर मार्ग तथा 488 ग्रामों में लिकेज मरम्मत/ गैप क्लोजिंग कार्य में) रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। योजना में अवशेष कार्य प्रगति पर है, जिसे 31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत 17 ग्राम सरकारी गजट संख्या 1493/नौ–6–2022–3 सी०वि०–2020 लखनऊ दिनांक 04.08.2022 द्वारा नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज के विस्तार के उपरान्त सम्मिलित हो गये है। पूर्व में प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लखनऊ द्वारा आगामी आदेशों तक कार्य बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 17 ग्रामों में 5837 नग गृह संयोजनों का कार्य नही हो पाया है। उक्त के सम्बन्ध में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित 17 ग्रामों की धनराशि को शासन स्तर पर वापस किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत पाईप लाईन का बिछान 01 मी0 की गहराई में कराना सुनिश्चित करें, योजनान्तर्गत जनपद के लगभग 50 प्रतिशत ग्राम आच्छादित है तथा योजना में 86 प्रतिशत वित्तीय प्रगति होने के पश्चात भी मात्र 31 ग्राम में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। यदि फर्म द्वारा 31.03.2026 तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/ मेसर्स एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद)

9. **केवथा ग्राम समूह पेयजल योजना** –योजना का निर्माण मेसर्स जैन कन्स्ट्रक्शन, हरियाणा द्वारा कराया जा रहा है। योजना की लागत रू0 98.30 करोड़ के सापेक्ष रू0 95.76 करोड की धनराशि व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजना संचालन एवं अनुरक्षण अन्तर्गत संचालित है तथा 01 मी0 गहराई पाईप लाइन बिछान का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत कुल 12 राजस्व ग्रामों के में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 11 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत काटी गयी 3331.23 वर्ग मी0 बिटूमिनश रोड़, 1621.71 वर्ग मी0 सी0सी0 रोड, 683.88 वर्ग मी0 बी0ओ0ई0 एवं 121.42 वर्ग मी0 इण्टरलाकिंग के सापेक्ष समस्त रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण है। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0जल निगम/टी0पी0आई0/ मेसर्स जैन कन्स्ट्रक्शन, हरियाणा)

➢ योजनाओं पर विद्युत संयोजन एवं बाधित विद्युत आपूर्ति के संबन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र द्वार अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 12 नग पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु अपेक्षित 85 नग विद्युत संयोजन का कार्य वि0वि0ख0 रावर्ट्सगंज/पिपरी द्वारा कराया गया है। पनारी एवं केवथा योजना में डेडिकेटेड फिडर का कार्य शेष होने के कारण नियमित जलापूर्ति बाधित हो रही है। अवशेष डेडिकेटेड फिडर एवं विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं का विवरण निम्नानुसार है–

पनारी ग्राम समूह पेयजल योजना–योजनान्तर्गत बैरपुर पम्प हाउस पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य कराया जाने हेतु वन विभाग, ओबरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

केवथा ग्राम समूह पेयजल योजना–योजनान्तर्गत इंटेक एवं डब्ल्यू0टी0पी0 को छोडकर शेष 06 स्थानो पर डेडीकेटेड फीडर का कार्य कराया जाने हेतु वन विभाग, ओबरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

झीलो–बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना– परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत विगत 21 दिनों से विद्युत आपूर्ति में लो वाल्टेज की समस्या आ रही है जिससे जलापूर्ति बाधित हो रही है।

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं में प्राप्त हो रही 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति अनियमित है तथा दिन में मिलने वाली आपूर्ति 02 बार में प्राप्त होती है जिससे योजना में जलापूर्ति बाधित होती है। अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अनुरोध किया गया कि योजनान्तर्गत प्रभावित सभी सब स्टेशनो पर एक साथ दिन में 09 बजे से 03 बजे तक नियमित विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है जिससे योजनाओं में नियमित जलापूर्ति की जा सके।

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 01 नगर पालिका एवं 09 नगर पंचायतों में एकल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। परियोजना की समीक्षा बिन्दुवार निम्नवत् है :–

<u>जिला खनिज निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन रावर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद पुर्न गठन पेयजल योजना</u>– योजना की अनुबन्ध लागत रू0 5166.30 लाख के सापेक्ष 4649.67 लाख की धनराशि व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत रू0 516.63 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग की गयी है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देशित किया गया कि परियोजना की जॉच कराकर अवशेष धनराशि अवमुक्त कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी (वि0रॉ0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, नगरीय)

<u>अमृत 2.0 के अन्तर्गत कार्य–</u>

1. **नगर पालिका परिषद सोनभद्र**– अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत अनुबन्ध की लागत 7.614 करोड़ के सापेक्ष रू0 3.72 करोड़ व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत हुई है। योजनान्तर्गत 10.36 कि0मी0 पाईप लाईन के सापेक्ष 7.5 कि0मी0 का बिछान एवं 10871 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 4250 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 31.05.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, साथ यह भी निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त मार्गो का प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत मरम्मत किया जाए। नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के वर्ष 2022 में सीमा विस्तार होने के उपरान्त सम्मिलित किये गये 17 गांव के क्षेत्रों में जलापूर्ति का प्राक्कलन अतिशीघ्र शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया।
2. **नगर पंचायत घोरावल**– अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत अनुबन्ध लागत 12.65 करोड़ के सापेक्ष रू0 4.67 करोड़ व्यय करते हुए भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 03.11.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, साथ यह भी निर्देशित किया गया कि क्षतिग्रस्त मार्गो का प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत मरम्मत किया जाए।
3. **नगर पंचायत चुर्क–घुर्मा**– अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत 40 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत अधिक होने के कारण स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्राक्कलन में पानी का स्रोत घंधरौल डैम के अन्दर फ्लोटिंग इण्टेकवेल के माध्यम से प्रस्तावित होने तथा डेम से चुर्क तक लगभग 11.00 कि0मी0 लम्बी राइजिंगमेन प्रस्तावित होने के कारण परियोजना की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

Scanned with OKEN Scanner

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि चुर्क–घुर्मा नगर पंचायत भौगोलिक रूप से 02 हिस्सो में विभक्त है। अतः घुर्मा क्षेत्र में आने वाले 02 वार्डों का प्राक्कलन पृथक रूप से ग्राउण्ड वाटर ट्यूबवेल पर आधारित करके बनाया जा सकता है तथा चुर्क क्षेत्र में आने वाले 08 वार्डों को यदि समीप स्थित मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुलिस लाइन के साथ जोड़कर पानी का स्रोत 01 कि0मी0 से भी कम दूरी पर स्थित बिलाही बांध को लिया जाये तो प्राक्कलन की लागत कम खर्च में बेहरत परिणाम देने वाली होगी तथा पानी की समस्या से जूझ रहे चुर्म–घुर्मा नगर पंचायत तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थानों (मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुलिस लाइन) के लिए अत्यन्त लभकारी सिद्ध होगा। उल्लेखनिय है कि बिलाही बांध का स्वामित्व नगर पालिका परिषद, सोनभद्र के पास है तथा बिलाही बांध को उपयोग में लाने हेतु इसके बांध का सुदृढीकरण तथा क्षमता बढ़ाने हेतु ड्रेजिंग की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में परियोजना के पानी का स्रोत बिलाही बांध को बनाये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, सोनभद्र से एन0ओ0सी0 दिलाये जाने एवं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुलिस लाइन को चुर्क क्षेत्र के साथ जोड़कर प्राक्कलन तैयार करने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी महोदय से सैद्धांतिक सहमति हेतु अनुरोध किया गया। जिस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उक्त प्राक्कलन को प्राथमिकता पर तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया तथा नगर पालिका परिषद, सोनभद्र से पानी लेने हेतु एन0ओ0सी0 दिलाये जाने का आश्वासन दिया गया।

4. **नगर पंचायत चोपन**– अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत 68.17 करोड़ की स्वीकृति शासनादेश संख्या 391/अमृत–2.0/नौ–5–2025 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त हो चुकी है तथा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
5. **नगर पंचायत ओबरा**– अमृत 2.0 के अनुमानित लागत 116 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। ओबरा बांध से रॉवाटर लिए जाने की अनापत्ति प्रमाण प्राप्त न होने के कारण प्राक्कलन की स्वीकृति लंबित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता ओबरा बांध खण्ड से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
6. **नगर पंचायत डाला बाजार**– अमृत 2.0 योजना के अनुमानित लागत 42.57 करोड़ के प्राक्कलन की तकनिकी निविदा ओपन कर की गयी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि यथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, सोनभद्र के माध्यम से विषयगत योजना की आवश्यकता, औचित्य एवं आगणन की लागत का परीक्षण कराते हुए नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ में रिपोर्ट प्रेषित किया जाना है, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता को पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
7. **नगर पंचायत दुद्धी**– अमृत 2.0 योजना के अनुमानित लागत 48 करोड़ के प्राक्कलन की तकनिकी निविदा ओपन कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि यथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, सोनभद्र के माध्यम से विषयगत योजना की आवश्यकता, औचित्य एवं आगणन की लागत का परीक्षण कराते हुए नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ में रिपोर्ट प्रेषित किया जाना है, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता को पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
8. **नगर पंचायत पिपरी**– अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना के प्राक्कलन की स्वीकृति दिनांक 25.06.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (SHPSC) में की जा चुकी है, किन्तु रिहन्द बांध से रॉ–वाटर लिए जाने की अनापत्ति प्रमाण प्राप्त न होने के कारण प्राक्कलन की स्वीकृति लंबित है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता रिहन्द बांध से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

9. **नगर पंचायत रेनुकूट तथा अनपरा** – भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्राक्कलन तैयार नही किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि का चिन्हाकंन करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिए गये–

- योजनान्तर्गत समस्त ग्रामो के प्रत्येक घर को गृह संयोजन से आच्छादित करते हुए नियमित जलापूर्ति कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत शेष बचे हुए कार्यो को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुए कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पूर्ण हो चुकी ओ0एच0टी0 एवं पाइप लाइन की टेस्टिंग करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलो पर स्टैण्ड पोस्ट लगाते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछान में क्षतिग्रस्त किये गये मार्गो को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाया जाए।
- योजना में वांछित विद्युत बिजको का भुगतान शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में पेयजल की उपलब्धता के लिए 500/1000 ली0 पानी की टंकी के अधिष्ठान का कार्य कराया जाए।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।
- जनपद के 643 ग्रामों को पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से जलापूर्ति किया जाना है, जिसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है। नियमित रूप से योजना की समीक्षा करते हुये मार्च 2026 तक योजना को पूर्ण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।
- वर्षा ऋतु में राबर्ट्सगंज शहर में जल भराव की समस्या उत्तन्न हो जाती है, जिसके समाधान के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (शहरी) को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, (नगरीय/ग्रामीण)/समस्त सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक– 212 /नमामि गंगे–बै0कार्यवृत्त/2025, सोनभद्र : दिनांक फरवरी 10, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव वन प्रभाग, मीरजापुर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner

8. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सोनभद्र/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता, (ग्रामीण)/(नगरीय)/(वि0/यां0), उ0 प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, सोनभद्र।
11. अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खं0 पिपरी, सोनभद्र।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, सोनभद्र।
13. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचा0, सोनभद्र।
14. समस्त कार्यदायी फर्म।...माध्यम से जल निगम।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner

9. **नगर पंचायत रेनुकूट तथा अनपरा** – भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्राक्कलन तैयार नही किया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, नगरीय को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि का चिन्हाकंन करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिए गये–

- योजनान्तर्गत समस्त ग्रामो के प्रत्येक घर को गृह संयोजन से आच्छादित करते हुए नियमित जलापूर्ति कर हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मैन पावर एवं मशीनरी लगाते हुए कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पूर्ण हो चुकी ओ0एच0टी0 एवं पाइप लाइन की टेस्टिंग करते हुये ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलो पर स्टैण्ड पोस्ट लगाते हुए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
- योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछान में क्षतिग्रस्त किये गये मार्गो को यथाशीघ्र पूर्व की स्थिति में लाया जाए।
- योजना में वांछित विद्युत बिजको का भुगतान शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में पेयजल की उपलब्धता के लिए 500/1000 ली0 पानी की टंकी के अधिष्ठान का कार्य कराया जाए।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।
- जनपद के 643 ग्रामों को पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना से जलापूर्ति किया जाना है, जिसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है। नियमित रूप से योजना की समीक्षा करते हुये मार्च 2026 तक योजना को पूर्ण कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।
- वर्षा ऋतु में राबर्ट्सगंज शहर में जल भराव की समस्या उत्तन्न हो जाती है, जिसके समाधान के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (शहरी) को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, (नगरीय/ग्रामीण)/समस्त सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक– 242 /नमामि गंगे–बै0कार्यवृत्त/2025, सोनभद्र : दिनांक फरवरी 10, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव वन प्रभाग, मीरजापुर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner

8. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सोनभद्र/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0), सोनभद्र।
9. अधिशासी अभियन्ता, (ग्रामीण)/(नगरीय)/(वि0/यां0), उ0 प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, सोनभद्र।
11. अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खं0 पिपरी, सोनभद्र।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभि0 विभाग, सोनभद्र।
13. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचा0, सोनभद्र।
14. समस्त कार्यदायी फर्म।...माध्यम से जल निगम।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner